न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामा जिला भरतपुर
व इजलाश श्री दिनेश शर्मा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामा
मुकदमा नं0 21/2022

1-मुन्नी पत्नि अलीम जाति मेव निवासी ग्राम छिछरवाडी तहसील कामां

प्रार्थीया।

बनाम

1-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कामां जिला भरतपुर
2-रहीसन पत्नि आमीन जाति मेव निवासी छिछरवाडी
3-हरली पुत्र कन्हैया जाति गूर्जर निवासी ग्राम छिछरवाडी मृतक
3/1-चतरी पुत्र हरली जाति गूजर निवासी ग्राम छिछरवाडी मृतक
3/1/1-सत्ती पत्नि चतरी
3/1/2-रवि पुत्र चतरी
3/1/3-रामवीर पुत्र चतरी
3/2-वीरभान पुत्र चतरी
3/3 -रणवीर पुत्र हरली
3/4 -सुखवीर पुत्र हरली मृतक
3/4/1-अनेक पुत्र सुखवीर
3/4/2-दिनेश पुत्र सुखवीर जाति गूर्जर निवासी छिछरवाडी तहसील कामां

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

निर्णय

दिनांकः 28.12.2022

प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 भू0राज0 अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है। कि आराजी खसरा नम्बर 727/1/0.25, 727/2/0.26, 727/3/0.26 हैक्टेयर बांके ग्राम छिछरवाडी तहसील कामां में स्थित है जिसके बन्दोबस्त विभाग द्वारा खसरा नम्बर 1009/0.25, 1011/0.26, 1012/0.26 कायम किये गये हैं। पूर्व में साविक खसरा नम्बर 727 का कुल रकबा 0.77 हैक्टेयर था उक्त साविक ख0न0 का बंटवारा नामान्तरण संख्या 447 दिनांक 27.11.1972 से हुआ था बंटवारे में उक्त खसरा नम्बर को तीन जगह तोडा था और रकबा कमशः 0.25 है0, 0.26 है0, 0.26 है0 खातेदारों को दिया गया था बंटवारे के नामान्तरण में खसरा नम्बर को तीन जगह तोड़कर तोड़कर नक्शा लट्ठा में कोई तरमीम नहीं की गई और ना ही नामा0 की पुस्त पर नजरी नक्शा बनाया गया मुताबिक रकबा के तीनों खातेदार आराजी खसरा नम्बर पर काबिज हो गये।

साविक खसरा नम्बर 727/3/0.26 हैक्टेयर को प्रार्थीया ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा से खरीदा है। जिस पर प्रार्थीया मौके पर काबिज है। प्रार्थीया का

उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर) राज0

कब्जा वतरफ उत्तर की ओर है और खसरा नम्बर 1008 गैर0मुम0 रास्ता से लगा हुआ है। जिसको बन्दोबस्त विभाग द्वारा नया खसरा नम्बर 1012/0.26 कायम किया है। अप्रार्थी संख्या 2 का साविक खसरा नम्बर 727/1/0.25 है जिसको बन्दोबस्त विभाग द्वारा नया खसरा नम्बर 1009/0.25 हैक्टेयर कायम किया है जो प्रार्थी की खातेदारी के खसरा नम्बर 1012 के दक्षिण दिशा में है तथा अप्रार्थी संख्या 3 का साविक खसरा नम्बर 727/2/0.26 है जिसको बन्दोबस्त विभाग द्वारा नया नम्बर 1011/0.26 कायम किया है जो अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी की भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित है।

बन्दोबस्त विभाग द्वारा पुराने खसरा नम्बर 727/1/0.25, 727/2/0.26, 727/3/0.26 के नये खसरा नम्बरान कायम करते समय तैयार किये गये नक्शे में बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों द्वारा लापरवाही पूर्ण तरीके से प्रार्थीया व अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के खसरा नम्बर 1009, 1011, 1012 को नये नक्शा में खिलाफ कानून व खिलाफ मौका दर्शाया गया है। प्रार्थीया के खसरा नम्बर 1012 को दक्षिण दिशा की ओर दर्शाया गया है। जबकि प्रार्थीया का कब्जा गैर0मुम0 रास्ता के खसरा नम्बर 1008 की ओर है और मौके पर प्रार्थीया का उक्त नम्बर में बोरिंग हो रहा है। जिससे वह फसल सिंचाई करती है और अप्रार्थी संख्या 2 को नये नक्शा के बातरफ उत्तर खसरा नम्बर 1008 की ओर दर्शाया गया जबकि उसका कब्जा प्रार्थीया के खसरा नम्बर 1012 की दक्षिण दिशा में है व अप्रार्थी संख्या 3 को नये नक्शा में खसरा नम्बर 1009 के दक्षिण दिशा में दर्शाया गया है जबकि उसका कब्जा 1009 के दक्षिण दिशा में है। उक्त गलत नक्शा की जानकारी नकल दस्तावेज लेने पर दिनांक 18.08.2022 को हुई । इससे पूर्व कोई जानकारी नहीं थी। अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के नये बन्दोबस्ती नक्शा में हो रहे गलत इन्द्राज के कायम रहने से प्रार्थीया को सख्त हक तलफी हो रही है। विधि वजह प्रार्थीया बन्दोबस्त विभाग द्वारा गलत तैयार किये गये नये नक्शे में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के खसरा नम्बर 1009, 1011 को मौका व कब्जानुसार दुरूस्त करा पाने की अधिकारणी है।

प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर बन्दोबस्ती विभाग द्वारा तैयार किये गये नक्शे को संशोधित किया जावे कि प्रार्थीया के खसरा नम्बर 1012 को मुताबिक कब्जानुसार खसरा नम्बर 1008 गैर0मुम0 रास्ता के सहारे कायम कर उसके दक्षिण में नवीन खसरा नम्बर 1009 को कायम किया जावे तथा उसके बाद खसरा नम्बर 1011 को कायम किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड किया गया । अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी नम्बर 2 की ओर से जबाव पेश किया गया कि आ0ख0नं0 1012/0.26 हैक्टेयर का ही बयनामा कराया जिसका नामान्तरण संख्या 22 दिनांक 13.09.2021 को संवत् 2074 लगायत 2077 में स्वीकार हुआ नामान्तकरण में भी विक्रेताओं के नाम अंकित है तथा उसी नम्बर पर कब्जा दिया जिस पर आज तक उसी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। अप्रार्थीया नम्बर 2 रहीसन ने आराजी पूर्व में ही ओमवती पत्नी जगराम कौम गुर्जर से दिनांक 29.04.2010 में कय की जिस आराजी पर वह काबिज थी उसी का कब्जा मौके पर दिया संवत् 2069 लगायत 2072 की जमाबन्दी में ही रहीसन का नाम खाता संख्या 371 पर खातेदार काबिज आराजी थी उस समय आराजी को बैंक ऑफ बड़ौदा में रहन रख दी यानि की प्रार्थीया के कय करने से पूर्व ही खसरा नम्बर 727/1/0.25 पर काबिज थी जो आज तक उसी नम्बर पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। रहीसन की आराजी पूर्व से ही रास्ते के पास है जो अब भी उसी नये नम्बर 1009 जो रास्ते के पास है। उसी पर

n

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (भरतपुर) राज.

n

काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। रास्ते के पास ही रहीसन को बोरिंग है जो काफी गहरा है जिसको रहीसन का पति टैक्टर व एल्टीनेटर से चलता है बोरिंग में समरसिबल से पानी निकलता है। बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों ने मौके के कब्जे के आधार पर सही नम्बर डाले है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा तैयार नक्शा ट्रेस की प्रति संलग्न है। प्रार्थीया के मन में अब बदयान्ती आ रही है जो मन मुताबिक मन गढन्त ठग से प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थीया राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण संख्या 22 दिनांक 13.09.2021 से खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड में आई है तो उससे पहले की कहानी गठ कर प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीया अदालत में स्वच्छ हाथों व स्वच्छ मन से नहीं आई है। इसलिए प्रार्थना पत्र काबिले खारिजी है।

प्रतिवादी नम्बर 3 हरली पुत्र कन्हैया एवं चतरी पुत्र हरली ने फौत होने पर उनके वारिसान सत्ती, रवि, रामवीर, पिसरान चतरी, दिनेश पुत्र सुखवीर ने उपस्थित होकर शुद्वि किये जाने में अपनी सहमति जताई एवं अनेक पुत्र सुखवीर, धीरज, रणवीर पुत्र हरली ने भी प्रार्थना पत्र शुद्वि में अपनी सहमति जताई। प्रतिवादी नम्बर 2 की ओर से जीतराम पुत्र हुकमसिंह, वीरभान पुत्र हरली, हरीचन्द पुत्र प्यारेलाल, सुनील पुत्र बच्चू, इकबाल पुत्र रजाक, हमीदा पुत्र महताब, कैलाश पुत्र टीकम, जगराम पुत्र परसादी, सूरज पुत्र किशन, फूलसिंह पुत्र रिसाल ने शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि रहीसन ने हरली वगैरा के परिजन से करीबन 13–14 साल पूर्व आराजी खरीदी तभी से काश्त करते चले आ रहे हैं रहीसन ने रस्ते के सहारे 6–7 वर्ष पूर्व बोरिंग लगी हुई है जिसे रहीसन का पति टैक्टर से चलाता है। मुन्नी को रहीसन की आराजी पर काश्त करते नहीं देखा। रहीसन के बाद ही मुन्नी पत्नि अलीम ने खेत खरीदा है जिसे पहले गुर्जर काश्त करते थे अब मुन्नी काश्त कर रही है। मुन्नी रहीसन की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहती है।

अप्रार्थी नम्बर 1 ने रिपोर्ट पेश की है कि साविक आराजी खसरा नम्बर 727/1/0.25, 727/2/0.26, 727/3/0.26 के बन्दोबस्त विभाग के द्वारा हाल नम्बर 1009/0.25, 1011/0.26, 1012/0.26 कायम किये गये । प्रार्थीया की आराजी खसरा नम्बर 1012 को मुताबिक कब्जानुसार खसरा नम्बर 1008 के सहारे कायम यानि रास्ता के सहारे कायम किये जिसका मौका निरीक्षण निम्न प्रकार किया गया। मौके पर पूरन पुत्र रामचन्द जाति लोधा, रामसिंह पुत्र दामोदर जाति लोधा, संदीप पुत्र विजन्दर, छोट्टली पुत्र रामचन्द, केसरिया पुत्र विज्जन जाति गुर्जर, महेन्द्र पुत्र बुद्धी, कलुआ पुत्र दामोदर, हरीचन्द पुत्र प्यारेलाल, जानु पुत्र हब्बू जाति मेव ग्राम छिछरवाड़ी उपस्थित आये। साविकि आराजी खसरा नम्बर 727/1/0.25, 727/2/0.26, 727/3/0.26 जिनके बन्दोबस्त विभाग के द्वारा हाल खसरा नम्बर 1009/0.25, 1011/0.26, 1012/0.26 कायम किये गये। राजस्व रिकॉर्ड नवीन नक्शा के मुताबिक आराजी खसरा नम्बर 1009/0.25 पर रहीसन पत्नि आमीन जाति मेव निवासी छिछरवाडी एवं आराजी खसरा नम्बर 1011/0.26 पर हरली पुत्र कन्हैया जाति गुर्जर निवासी छिछरवाड़ी और आराजी खसरा नम्बर 1012/0.26 पर मुन्नी पत्नि अलीम जाति मेव निवासी छिछरवाडी दर्ज रिकॉर्ड है। मौके के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1008 गैरमुम0 रास्ता के सहारे 1009/0.25 एवं 1011/0.01 पर मुन्नी पत्नि अलीम जाति मेव एवं आराजी खसरा नम्बर 1011/0.25 मिन पर रहीसन पत्नि आमीन जाति मेव तथा आराजी खसरा नम्बर 1012/0.26 पर हरली पुत्र कन्हैया जाति गुर्जर के वारिसान काबिज है। मौके पर उपस्थित लोग एवं विक्रेता एवं पडौसियों से कब्जे के बारे में जानकारी ली गई जिन्होने बताया कि पूर्व से ही रास्ते के सहारे मुन्नी पत्नि

उप [illegible]
कामाँ ([illegible])

अलीम जाति मेव का कब्जा 0.26 हैक्टेयर रकबे पर है जिसके दक्षिण में रहीसन पत्नि आमीन जाति मेव का 0.25 हैक्टेयर पर कब्जा है जिसके दक्षिण में हरली पुत्र कन्हैया के वारिसो का 0.26 हैक्टेयर पर कब्जा है। मुन्नी पत्नि अलीम के द्वारा खसरा नम्बर 1009/0.25 के उत्तरी पश्चिमी कोने मे लगभग 05 साल पूर्व गैर0मु0 बोर कराया गया था जो समस्त गैर0मु0 बोर पर काबिज है।

प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल ... साविक खसरा नम्बर किता 3 सं0 2069लगा0 2072 नकल जमाबन्दी ... 2074-77 किता 3 नक्शा टेस साविक खसरा नम्बर, नक्शा टेस हाल बन्दी ... नम्बरान मिलान क्षेत्रफल प्रार्थना पत्र सलग्न किया है ।

हमने पक्षकार अधिवक्ता की बहस सुनी । प्रार्थी पक्ष ... लिखित प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया । तथा कहा कि बन्दोबस्त ... पुराने खसरा नम्बर 727/1/0.25, 727/2/ 0.26, 727/3/0.26 के ... नम्बरान कायम करते समय तैयार किये गये नक्शे में बन्दोबस्त विभाग के ... द्वारा लापरवाही पूर्ण तरीके से प्रार्थीया व अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के ... 1009, 1011, 1012 को नये नक्शा मे खिलाफ कानून व खिलाफ मौका ... है। प्रार्थीया के खसरा नम्बर 1012 को दक्षिण दिशा की ओर दर्शाया गया है ... प्रार्थीया का कब्जा गैर0मु0 रास्ता के खसरा नम्बर 1008 की ओर है और ... प्रार्थीया का उक्त नम्बर मे बोरिंग हो रहा है। जिससे वह फसल सिंचाई करती है ... अप्रार्थी संख्या 2 को नये नक्शा के बातरफ उत्तर खसरा नम्बर 1008 की ... गया जबकि उसका कब्जा प्रार्थीया के खसरा नम्बर 1012 की दक्षिण ... अप्रार्थी संख्या 3 को नये नक्शा मे खसरा नम्बर 1009 के दक्षिण दिशा ... गया है जबकि उसका कब्जा 1009 के दक्षिण दिशा में है। अप्रार्थीगण संख्या ... के नये बन्दोबस्ती नक्शा में हो रहे गलत इन्द्राज के कायम रहने से प्रार्थीया ... हक तलफी हो रही है। विधि वजह प्रार्थीया बन्दोबस्त विभाग द्वारा गलत ... गये नये नक्शे मे अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के खसरा नम्बर 1009, 1011 को ... कब्जानुसार दुरूस्त करा पाने की अधिकारणी है। तथा अप्रार्थी नं0 2 ने अपने ... के लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि प्रार्थीया ने गलत तथ्यों के आधार ... वाली आराजी पर अपना कब्जा बताया है जबकि मेरा काफी पुराना कब्जा ... द्वारा उक्त आराजी को प्रार्थीया से पहले खरीदी थी बाद मे प्रार्थीया द्वारा आराजी क्रय की है । प्रार्थीया जबरन रास्ते के सहारे वाली बोर लगी हुई आराजी पर ... करना चाहती है । जबकि उक्त आराजी पर मेरे द्वारा बोर लगाया गया था ... बारे गाव के लोगो ने शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये है । अतः प्रार्थना काबिल ... अप्रार्थी न03 के वारिसान ने प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र पर अपनी लिखित सहमति ... की है । अप्रार्थी नं0 1 तहसीलदार कामा ने अपनी रिपोर्ट मे अवगत कराया है कि मौके के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1008 गैर0मु0 रास्ता के सहारे 1009/0.25 एव 1011/0.01 पर मुन्नी पुत्र अलीम जाति मेव एव आराजी खसरा नम्बर 1011/0. 25 मिन पर रहीसन पत्नि आमीन जाति मेव तथा आराजी खसरा नम्बर ... पर हरली पुत्र कन्हैया जाति गुर्जर के वारिसान काबिज है। मौके पर उपस्थित लोग एव विक्रेता एव पडौसियों से कब्जे के बारे में जानकारी ली गई जिन्होने बताया कि पूर्व से ही रास्ते के सहारे मुन्नी पत्नि अलीम जाति मेव का कब्जा 0.26 हैक्टेयर रकबे पर है जिसके दक्षिण में रहीसन पत्नि आमीन जाति मेव का 0.25 हैक्टेयर पर कब्जा है जिसके दक्षिण में हरली पुत्र कन्हैया के वारिसों का 0.26 हैक्टेयर पर कब्जा है। मुन्नी पत्नि अलीम के द्वारा खसरा नम्बर 1009/0.25 के उत्तरी पश्चिमी कोने में

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (भरतपुर) राज०

लगभग 05 साल पूर्व गैर0मुम0 बोर लगाया था जो उक्त गैर0मुम0 बोर पर काबिज होना जाहिर किया है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उपलब्ध दस्तावेजात का मनन किया। तहसीलदार रिपोर्ट एवं बयानात से स्पष्ट होता है कि पूर्व से ही रास्ते के सहारे मुन्नी पत्नि अलीम जाति मेव का कब्जा 0.26 हैक्टेयर रकबे पर है जिसके दक्षिण में रहीसन पत्नि आमीन जाति मेव का 0.25 हैक्टेयर पर कब्जा है जिसके दक्षिण मे हरली पुत्र कन्हैया के वारिसों का 0.26 हैक्टेयर पर कब्जा है। मुन्नी पत्नि अलीम के द्वारा खसरा नम्बर 1009/0.25 के उत्तरी पश्चिमी कोने में लगभग 05 साल, पूर्व गैर0मुम0 बोर लगाया था जो उक्त गैर0मुम0 बोर पर काबिज है । अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राज0 अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

अतः आदेश दिया जाता है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राज0 अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाता है तथा बन्दोबस्त विभाग द्वारा तैयार किये गये नक्शे को संशोधित किया जाकर प्रार्थीया के खसरा नम्बर 1012 को मुताबिक कब्जानुसार खसरा नम्बर 1008 गैर मु0रास्ता के सहारे कायम कर उसके दक्षिण मे नवीन खसरा नम्बर 1009 को कायम किये जावे । शुद्धि हेतु तहसीलदार कामां को लिखा जावे । प्रकरण नम्बर से कम किया जाकर फैसल शुमार किया जावे । बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

आज निर्णय दिनांक 21.12.2022 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया।

(दिनेश शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
कामां(भरतपुर राज)०

n